मध्य प्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय–वल्लभ भवन–भोपाल–462004

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक 25.09.2014

क्रमांक एफ 02–27/2001/सत्ताईस–एक–राज्य शासन एतद् द्वारा श्री प्रदीप खरे, (से.नि.) भा.प्र.से. को शिकायत निवारण प्राधिकरण, इंदिरा सागर एवं ओंकारेश्वर परियोजना (नर्मदा संकुल) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सदस्य (प्रशासनिक) नियुक्त करता है।

सदस्य प्रशासनिक की सेवाशर्तें निम्नानुसार होंगी :–

(1) सदस्य प्रशासनिक को प्रतिमाह एकजाई वेतन देय होगा।
(2) एकजाई वेतन निर्धारित करने के लिये सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त कुल वेतन में से पेंशन की राशि घटाकर जो राशि आयेगी वह राशि वेतन के रूप में देय होगी। इस वेतन पर किसी प्रकार का मंहगाई भत्ता या अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।
(3) पेंशन पृथक से प्राप्त करने की पात्रता होगी तथा पेंशन पर देय राहत की पात्रता होगी।
(4) नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।
(5) नियुक्ति के दौरान शासकीय आवास गृह के लिये आवंटन/आधिपत्य की पात्रता नहीं होगी, केवल पात्रतानुसार गृह भाडा भत्ता देय होगा। नियुक्ति के समय यदि शासकीय आवास आवंटित है या आधिपत्य में है तो शासकीय आवास रिक्त करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के विभागीय आवास के संबंध में उक्त शर्त लागू नहीं होगी।
(6) सदस्य (प्रशाासनिक) को अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों के समान अवकाश की पात्रता होगी।
(7) यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जोकि सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व थी।
(8) नियुक्ति अवधि में मध्यप्रेदश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 लागू होंगे।
(9) नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 45 दिन तक प्रभावशील होगा। इस अवधि में यदि आपके द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति का यह आदेश स्वतः ही प्रभावशून्य हो जायेगा।
(10) नियुक्ति की अवधि में गोपनीय प्रतिवेदन लिखे जायेंगे ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के. रवि)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग